न्यूज़ टुडे

भारत द्वारा सिंधु जल संधि पर रोक लगाए जाने के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित करने की घोषणा की

भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद शांति उपाय के रूप में इस समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे।

- 1971 के युद्ध के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश नामक नये राष्ट्र का निर्माण हुआ।

शिमला समझौते के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **विवादों का द्विपक्षीय समाधान:** दोनों देशों ने यह सहमति व्यक्त की थी कि वे सभी लंबित मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से करेंगे, जिसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा।
  - दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर भी सहमत हुए थे।
- **लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC):** युद्ध के बाद 17 दिसंबर 1971 को जम्मू और कश्मीर में जो संघर्ष विराम रेखा थी, उसे लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) मान लिया गया।
- **संबंधों का सामान्य बनाना:** संचार को पुनः शुरू करने, सीमा चौकियों की बहाली, यात्रा सुविधाओं, व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने तथा विज्ञान एवं संस्कृति के आदान-प्रदान के लिए कदम उठाने पर सहमति बनी।

इस समझौते के महत्वपूर्ण परिणाम

- इसके परिणामस्वरूप, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को राजनयिक मान्यता दे दी तथा भारत द्वारा पकड़े गए लगभग 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा कर दिया गया।
- भारत ने युद्ध के दौरान अधिकृत की गई 13,000 वर्ग किमी से अधिक भूमि वापस कर दी। हालांकि, चोरबत घाटी (लगभग 883 वर्ग किमी) के कुछ सामरिक क्षेत्रों को वापस नहीं किया गया, जो लद्दाख में श्योक नदी घाटी का हिस्सा है।

भारतीय नेतृत्व वाली जलवायु पहल 'माटी कार्बन' ने 50 मिलियन डॉलर की 'XPRIZE कार्बन रिमूवल प्रतियोगिता' जीती

माटी कार्बन द्वारा एनहैंस्ड रॉक वेदरिंग मॉडल का उपयोग किया गया है। यह लघु जोत वाले किसानों के लिए फसल की पैदावार को बढ़ाते हुए कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को कैप्चर करता है। यह पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का एक दुर्लभ तालमेल सुनिश्चित करता है ।

- XPRIZE की शुरुआत 2021 में की गई थी। यह नवप्रवर्तकों को CO_2 को कैप्चर करने के लिए स्केलेबल समाधान को साकार करने की चुनौती देता है।

एनहैंस्ड रॉक वेदरिंग मॉडल के बारे में

- **परिभाषा:** एनहैंस्ड रॉक वेदरिंग मॉडल में बेसाल्ट (या ओलिवाइन जैसी अन्य ज्वालामुखीय चट्टानों) को बारीक पाउडर के रूप में पीसा जाता है और फिर इसका विविध भू-क्षेत्रों पर छिड़काव कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए- खेत, वन और समुद्र तट।
  - बेसाल्ट पाउडर समय के साथ अभिक्रिया करते हुए वायुमंडल से CO_2 को कैप्चर करता है तथा उसे अकार्बनिक रूप में तब्दील कर देता है, जो झीलों, नदियों और महासागरों में बह जाता है।
  - बेसाल्ट में कैल्शियम, मैग्नीशियम और लौह की उच्च मात्रा होती है। इससे CO_2 को अवशोषित करने की इसकी क्षमता काफी बेहतर हो जाती है।

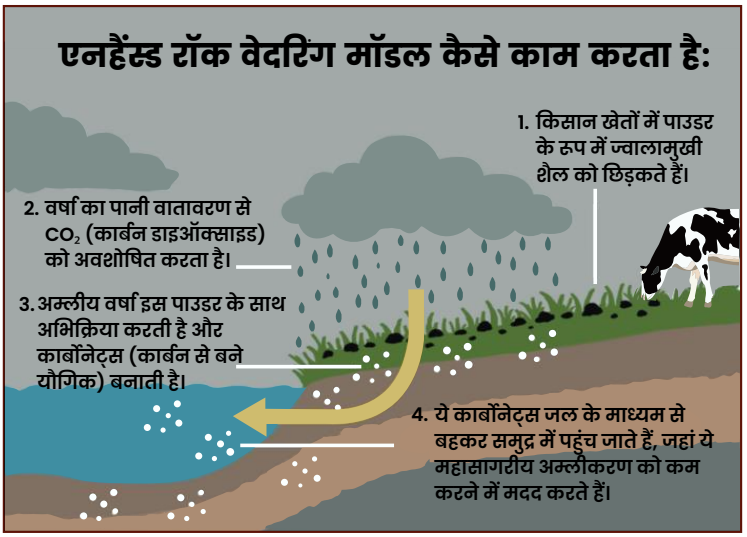

एनहैंस्ड रॉक वेदरिंग मॉडल के अतिरिक्त लाभ

- कृषि संबंधी लाभ
  - मृदा स्वास्थ्य में सुधार के कारण फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए- किसानों द्वारा 70% अधिक उपज की सूचना दी गई है।
  - बेसाल्ट से मृदा में आवश्यक खनिज तत्व पहुंचते हैं, जिससे उर्वरक की लागत कम हो जाती है। उदाहरण के लिए- कीटनाशकों के उपयोग में 65% की कमी आती है।
- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी-तंत्र संबंधी लाभ
  - बाइकार्बोनेट अपवाह के माध्यम से समुद्री जल की क्षारीयता को बढ़ाकर महासागरीय अम्लीकरण की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है।
  - कार्बन को स्टोर करने की जैविक विधियों की तुलना में यह दीर्घकालिक कार्बन भंडारण (10,000+ वर्ष) को सुनिश्चित करता है।
- स्केलेबिलिटी और व्यावहारिक लाभ
  - मौजूदा खनन संबंधी अवसंरचना के साथ विश्व स्तर पर प्रचुर मात्रा में फीडस्टॉक (जैसे, बेसाल्ट चट्टान) की उपलब्धता।
  - इसके उपयोग हेतु उच्च तकनीक वाले उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

वैश्विक कृषि भूमि का लगभग 242 मिलियन हेक्टेयर (16%) हिस्सा विषाक्त धातु प्रदूषण से प्रभावित है

यह जानकारी एक अध्ययन से सामने आई है। इसमें पाया गया कि विषाक्त धातुओं से होने वाले मृदा प्रदूषण का **खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर काफी प्रभाव** पड़ता है। साथ ही, इससे **सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में दक्षिणी चीन, उत्तरी और मध्य भारत तथा मध्य पूर्व** शामिल हैं।

मृदा में धातु प्रदूषण

- भारी धातुओं और उपधातुओं सहित विषाक्त धातुएं **गैर-निम्नीकृत** होती हैं। इसलिए, ये मृदा में निक्षेपित हो कर दशकों तक बनी रहती हैं।
  - इसमें शामिल भारी धातुएं हैं- **आर्सेनिक (As), कैडमियम (Cd), क्रोमियम (Cr), पारा (Hg), सीसा (Pb), तांबा (Cu), जस्ता (Zn), निकल (Ni)** आदि।
  - **कैडमियम सर्वाधिक प्रसार वाला प्रदूषक है,** जो विश्व भर की 9% मृदा में **सुरक्षित स्तर से अधिक मात्रा** में मौजूद है।
- **मृदा में पहुंचने वाली विषाक्त धातुओं के दो मुख्य स्रोत हैं:**
  - **प्राकृतिक:** ये ज्वालामुखी उद्गार/ प्रस्फुटन और वायु अपरदन के साथ-साथ आधार शैल एवं वायुमंडलीय परिवहन के माध्यम से मृदा में पहुंचते हैं।
    - आधार शैल **मृदा निर्माण हेतु मूल सामग्री** होती है।
  - **मानवजनित:** इसमें **कृषि (सिंचाई, फास्फोरस उर्वरक आदि), घरेलू (पेंट, बैटरी आदि) और औद्योगिक (खनन, धातु प्रगलन आदि)** गतिविधियां शामिल हैं।

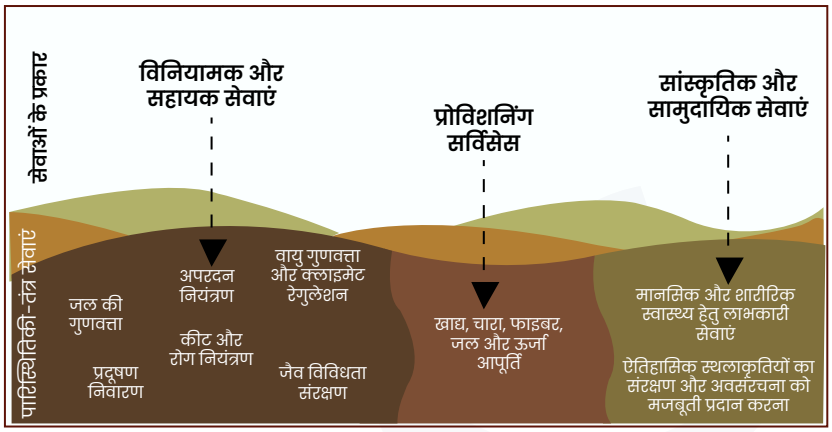

मृदा प्रदूषण के परिणाम

- **पारिस्थितिकी-तंत्र में व्यवधान:** यह प्राकृतिक और कृषि पारिस्थितिकी-तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करता है। साथ ही, इससे मृदा पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं में समग्र गिरावट भी होती है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **मानव स्वास्थ्य:** मृदा प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 500,000 से अधिक लोगों की असामयिक मृत्यु होती है।
- **जैवसंचयन या बायोएक्युमुलेशन:** इससे सजीवों में विषाक्त तत्वों का जैवसंचय हो सकता है, जो खाद्य पदार्थ के माध्यम से मानव तक भी पहुंच सकते हैं।
- **पोषक तत्व में असंतुलन:** यह मृदा की जैव विविधता और पोषक तत्वों की हानि के कारण होता है।

संयुक्त राष्ट्र की विश्व सामाजिक रिपोर्ट, 2025 असुरक्षा, असमानता और अविश्वास के कारण उत्पन्न वैश्विक सामाजिक संकट की चेतावनी देती है

यह रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN-DESA)** ने प्रकाशित की है। यह UN-DESA का एक फ्लैगशिप प्रकाशन है। यह रिपोर्ट **सामाजिक विकास से जुड़ी समस्याओं को उजागर** करती है।

- इस रिपोर्ट में **तीन सिद्धांतों यथा- समानता, सभी के लिए आर्थिक सुरक्षा और सामूहिकता** के आधार पर एक नई सहमत नीति बनाने का आह्वान किया गया है।

रिपोर्ट द्वारा रेखांकित किए गए प्रमुख मुद्दे

- **असुरक्षित आजीविका और स्थायी निर्धनता जोखिम:** दुनिया में **690 मिलियन लोग** अभी भी चरम गरीबी में हैं तथा **2.8 बिलियन** लोग इस स्तर के बिल्कुल करीब हैं। इनकी स्थिति इतनी नाजुक है कि छोटा-सा आर्थिक आघात इन्हें वापस चरम निर्धनता में धकेल सकता है।
- **असमानता का लगातार बढ़ता दायरा:** 128 देशों में से 52 में गिनी गुणांक द्वारा मापी गई आय असमानता, पिछले 30 वर्षों में लगातार बढ़ी है।
  - उदाहरण के लिए- **चीन और भारत** जैसे सघन आबादी वाले देशों तथा अधिकांश **उच्च आय वाले देशों** में असमानता बढ़ी है।
- **विश्वास और सामाजिक एकजुटता में कमी:** लोगों का सरकारों और संस्थाओं में विश्वास वैश्विक स्तर पर कम हो रहा है। इससे सामाजिक एकजुटता के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है।
  - उदाहरण के लिए- दुनिया भर में 57% **लोग अपनी सरकार पर कम विश्वास** करते हैं।

रिपोर्ट में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें

- **नीति निर्माण में सामाजिक दृष्टिकोण अपनाएं: कोपेनहेगन घोषणा-पत्र (1995)** के अनुसार, विकास के केंद्र में "**लोग**" होने चाहिए।

सामाजिक विकास पर कोपेनहेगन घोषणा-पत्र (1995)

सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन

उद्देश्य

कोपेनहेगन घोषणा-पत्र को 1995 में सामाजिक विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य था- **"विकास के केंद्र में लोगों को रखना।"**

मुख्य प्रतिबद्धताएं

गरीबी उन्मूलन
गरीबी को समाप्त करना **नैतिक और सामाजिक दायित्व** दोनों के रूप में स्वीकार किया गया।

पूर्ण रोजगार
पूर्ण और उत्पादक रोजगार को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में बढ़ावा दिया गया।

सामाजिक एकीकरण
समाज के सभी वर्गों के लिए **सामाजिक समावेशन और एकीकरण** को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया।

- **मानव विकास:** सरकारों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास आदि) और सार्वभौमिक व पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से लोगों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए।
- **सामाजिक सामंजस्य के लिए संस्थाएं:** समानता सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओं को भरोसेमंद, समावेशी और अनुकूलनीय बनाने की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार के मामले में भी न्यूनतम मत प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य करने पर विचार करने का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL)** पर सुनवाई करते हुए उपर्युक्त सुझाव दिया, ताकि **लोकतंत्र में जन-प्रतिनिधित्व की भावना** बनी रहे।

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की **धारा 53(2) में निर्विरोध निर्वाचन यानी एक ही प्रत्याशी के उम्मीदवार होने की स्थिति में उस उम्मीदवार के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान** किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां:

- **लोकतंत्र और बहुमत का सिद्धांत:** शीर्ष न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र बहुमत के सिद्धांत पर आधारित है, अतः निर्विरोध चुनाव में भी यह आवश्यक होना चाहिए कि उम्मीदवार को न्यूनतम मत प्रतिशत प्राप्त हो।
- **जन-प्रतिनिधित्व:** न्यायालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना किसी प्रतिस्पर्धा के निर्वाचित उम्मीदवार को भी जनता का पर्याप्त समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

चुनाव सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के ऐतिहासिक निर्णय:

- **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) बनाम भारत संघ (2002) वाद:** इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों के लिए अपनी आपराधिक, वित्तीय व शैक्षणिक जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य किया।
- **पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ (2013) वाद:** इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर नोटा (NOTA) विकल्प की शुरुआत की गई। मतदाताओं को चुनाव में उम्मीदवारों को अस्वीकार या ख़ारिज करने का अधिकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह अधिकार संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत मतदाताओं के **'राइट टू चॉइस" का मूल अधिकार** है।
- **लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) वाद:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की **धारा 8(4)** को रद्द कर दिया गया। इससे **दोषी ठहराए गए सांसदों या विधायकों को तत्काल अयोग्य ठहराने का मार्ग प्रशस्त** हुआ।
- **लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (2013) वाद:** चुनाव संबंधी विवादों के त्वरित समाधान की वकालत की गई। इसमें समय पर न्याय सुनिश्चित करने और पारदर्शिता पर जोर दिया गया।
- **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) बनाम भारत संघ (2024) वाद:** चुनावी बॉण्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया गया। इसके माध्यम से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता बहाल की गई।

भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा चुनाव सुधार के लिए गए उठाए गए कदम:

- **सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन (SVEEP):** इसे भारत की चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ECI द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया था।
- **आम चुनाव 2024 में पात्र मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा:** 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को घर से मतदान करने की सुविधा दी गई।
- **डुप्लीकेट मतदाता पहचान-पत्रों को निरस्त करना (2025):** यह कार्य वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सहयोग से किया जा रहा है।

अन्य सुर्ख़ियां

BRIC-inStem

भारत ने **हीमोफीलिया के जीन थेरेपी उपचार के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता** हासिल की है। यह सफलता बेंगलुरु स्थित **BRIC-inStem में हासिल** की गई है।

- हीमोफीलिया एक **वंशानुगत रक्तस्राव विकार (inherited bleeding disorder)** है। इस बीमारी में **शरीर का रक्त सही ढंग से थक्के (clot) नहीं बनाता,** जिससे मामूली चोट में भी अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है।

BRIC-inStem के बारे में:

- inStem यानी **इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन** बेंगलुरु में स्थित एक अत्याधुनिक अनुसंधान संस्थान है।
- यह संस्थान **बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल (BRIC)** के तहत कार्य करता है।
- भारत सरकार द्वारा **2023 में स्थापित BRIC के तहत 14 स्वायत्त जैव प्रौद्योगिकी संस्थान** कार्य करते हैं।

एल्गोरिदमिक प्रबंधन (Algorithmic Management - AM)

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की नई रिपोर्ट के अनुसार, कार्यस्थल पर एल्गोरिदमिक प्रबंधन के बढ़ते उपयोग से **कार्य-दशाओं में गिरावट** आ रही है।

एल्गोरिदमिक प्रबंधन क्या है?

- एल्गोरिदमिक प्रबंधन का आशय है- **कार्यों के आवंटन, निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण, निगरानी, रीयल-टाइम निर्णय, और मैट्रिक्स-आधारित मूल्यांकन** के माध्यम से संचालित करना।
- पारंपरिक रूप से मानव प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेशन के जरिये संपादित करने या उन्हें सहायता देने के लिए **बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, जियोलोकेशन और वियरेबल डिवाइसेज़** जैसी डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।
- एल्गोरिदमिक प्रबंधन का विस्तार **गोदामों (Warehouses), फैक्ट्रियों, कॉल सेंटर, परिवहन और डिलीवरी सेवाओं जैसे पारंपरिक क्षेत्रकों** में भी हुआ है।

अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland Waterways)

भारत ने वित्त वर्ष 2024–25 में अंतर्देशीय जलमार्गों के ज़रिए **रिकॉर्ड 145.5 मिलियन टन कार्गो परिवहन की उपलब्धि** हासिल की। यह वित्त वर्ष 2013–14 के 18.1 मिलियन टन की तुलना में भारी वृद्धि है।

- यह **20.86% की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर (CAGR)** को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु:

- **मेरीटाइम अमृत काल विज़न के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित लक्ष्य हैं-**
  - **कुल माल ढुलाई में अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) की हिस्सेदारी मौजूदा 2% से बढ़ाकर 5%** करना।
  - कार्गो ट्रैफिक को 2030 तक 200+ मिलियन मीट्रिक टन और **2047 तक 500+ मिलियन मीट्रिक** टन करना।
- राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या **2014–15 में 5 थी, जो बढ़कर 2023–24 में 111** हो गई। इनकी **ऑपरेशनल लंबाई 2,716 किलोमीटर** से बढ़कर 4,894 किलोमीटर हो गई है।

खसरा-रुबेला

विश्व टीकाकरण सप्ताह के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने **राष्ट्रीय शून्य खसरा-रूबेला उन्मूलन अभियान (National Zero Measles-Rubella Elimination Campaign)** की शुरुआत की।

खसरा (Measles) और रूबेला क्या हैं?

- ये **दोनों वायरस** से फैलने वाली अत्यधिक संक्रामक बीमारियां हैं। ये बच्चों में **गंभीर बीमारी, आजीवन विकार और यहां तक कि मृत्यु** का कारण बन सकती हैं।
- भारत ने **2026 तक खसरा और रूबेला के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य** निर्धारित किया है।
- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत **खसरा-रूबेला (MR) वैक्सीन की दो मुफ्त खुराकें** दी जाती हैं।
  - स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) के 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार **पहली खुराक के लिए भारत का कवरेज 93.7%** है, जबकि **दूसरी खुराक के लिए 92.2%** है।

भूमिगत कोयला खनन

भारत सरकार ने भूमिगत कोयला खनन को प्रोत्साहित करने के लिए एक **व्यापक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा** की।

- इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य इस क्षेत्र में **निवेश को बढ़ावा देना** और खनन कार्य को लाभकारी बनने में लगने वाले लंबे समय से जुड़ी **समस्याओं का समाधान** करना है।
- भूमिगत खनन सतह पर खनन की तुलना में भूमि की सतह पर कम व्यवधान उत्पन्न करता है। इससे **भूमिगत खनन पर्यावरणीय रूप से अधिक अनुकूल** माना जाता है।

प्रमुख प्रोत्साहन उपाय

- **फ्लोर रेवेन्यू शेयर में कमी:** भूमिगत कोयला खदानों के लिए न्यूनतम राजस्व हिस्सेदारी को 4% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इससे वित्तीय बोझ कम होगा और परियोजनाओं को लाभकारी बनाया जा सकेगा।
- **अग्रिम भुगतान से छूट:** भूमिगत खनन परियोजनाओं के लिए **अनिवार्य अग्रिम भुगतान की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त** कर दिया गया है। इससे **निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ावा** मिलेगा।

सार्क वीज़ा-छूट योजना (SAARC Visa Exemption Scheme-SVES)

भारत सरकार ने घोषणा की है कि **पाकिस्तान के नागरिक अब सार्क वीज़ा छूट योजना (SVES) के अंतर्गत भारत की यात्रा नहीं** कर सकेंगे।

सार्क वीज़ा छूट योजना (SVES) के बारे में:

- **शुरुआत:** यह योजना 1992 में शुरू की गई थी। 1988 में **इस्लामाबाद** में आयोजित **चौथे सार्क शिखर सम्मेलन में इस वीज़ा की शुरुआत** के बारे में निर्णय लिया गया था।
- **उद्देश्य:** सार्क सदस्य देशों के बीच जनसंपर्क को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना।
- **लाभार्थी वर्ग:** इस योजना के अंतर्गत 24 **श्रेणियों** के व्यक्ति बिना वीज़ा के यात्रा करने के लिए पात्र थे। इनमें **गणमान्य व्यक्ति, उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीश, सांसद** आदि शामिल हैं।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के बारे मे

- **स्थापना:** इसकी स्थापना 1985 में **ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर** के साथ हुई थी।
- **सदस्य:** सार्क के सदस्य हैं- **अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।**

सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (CCS)

CCS ने **पहलगाम आतंकवादी घटना** पर पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाया।

CCS के बारे में

- **संरचना:** इसकी अध्यक्षता **प्रधान मंत्री** करता है। इसमें **वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्री** शामिल होते हैं। जरुरत पड़ने पर **रक्षा प्रमुखों और वरिष्ठ नौकरशाहों** को भी बैठक में बुलाया जा सकता है।
- **कार्य:**
  - यह **राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और सुरक्षा निकायों में प्रमुख नियुक्तियों पर महत्वपूर्ण निर्णय** लेती है।
  - यह **आंतरिक सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था, सुरक्षा चिंताओं वाले विदेशी मामलों** आदि पर चर्चा करती है।

मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में

- इनका गठन **प्रधान मंत्री** द्वारा मंत्रिमंडल के चयनित सदस्यों के साथ मिलकर किया जाता है।
- इस समय कुल **8 मंत्रिमंडलीय समितियां हैं। इनमें आर्थिक मामलों, राजनीतिक मामलों, और संसदीय मामलों** जैसी समितियां शामिल हैं।

कस्तूरी मृग

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में भारत के किसी भी चिड़ियाघर में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए **कोई प्रजनन कार्यक्रम शुरू नहीं** किया गया है।

कस्तूरी मृग के बारे में

- कस्तूरी मृग छोटे व अकेले रहने वाले खुर वाले शाकाहारी जीव हैं। ये मुख्यतः **रात या संध्या** के समय विचरण करते हैं। इनका संबंध **मोस्किडाए फैमिली** से है।
- कस्तूरी मृग की कुल **7 प्रजातियां** (जैसे- कश्मीर कस्तूरी मृग, अनहुई कस्तूरी मृग आदि) हैं। ये एशिया के लगभग **13 देशों जैसे- भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, रूस (साइबेरिया)** आदि में पाए जाते हैं।
- इनका शिकार मुख्यतः **'कस्तूरी ग्रंथि'** के लिए किया जाता है। यह ग्रंथि केवल **व्यस्क नर मृगों** में पाई जाती है। नर मृग **मादा साथी को आकर्षित** करने के लिए इसका स्राव करते है। कस्तूरी का इत्र उद्योग में अत्यधिक महत्त्व है।
- **पर्यावास:** असकोट वन्यजीव अभयारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, आदि।

संरक्षण स्थिति

- **IUCN:** एंडेंजर्ड (केवल साइबेरियाई कस्तूरी मृग ही वल्नरेबल श्रेणी में है)I
- **CITES:** परिशिष्ट-I (केवल अफ़गानिस्तान, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में पाई जाने वाली आबादी; अन्य सभी आबादी परिशिष्ट-II में शामिल हैं)I
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I में सूचीबद्ध।

डिजिलॉकर

केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में डिजिलॉकर के माध्यम से खेल प्रमाण-पत्र जारी करने का शुभारंभ किया।

- **महत्त्व:** डिजिलॉकर के माध्यम से जारी किए जाने वाले खेल प्रमाण-पत्रों को जल्द ही **नेशनल स्पोर्ट्स रिपॉजिटरी सिस्टम (NSRS)** के साथ जोड़ा जाएगा। इससे **सरकारी नकद पुरस्कारों का स्वचालित भुगतान सीधे एथलीटों के बैंक खातों** में हो सकेगा।

डिजिलॉकर के बारे में

- **लॉन्च:** 2015 में। यह सुरक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म है।
- **मंत्रालय:** यह **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम** के तहत **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** की प्रमुख पहल है।
- **उद्देश्य:** नागरिकों को उनके डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज़ों तक पहुंच प्रदान करके उनका **'डिजिटल सशक्तीकरण'** करना।

AI किरण

सरकार ने **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में महिलाओं को सशक्त** बनाने के लिए एक नई पहल **'AI किरण'** की शुरुआत की।

AI किरण के बारे में

- **उद्देश्य:** महिलाओं को इनोवेटर, चेंजमेकर और लीडर के रूप में उभरने में सहायता प्रदान करने हेतु एक **जीवंत AI समुदाय** को बढ़ावा देना।
- **नेतृत्व:** भारत सरकार के **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA)** का कार्यालय।
- **फोकस क्षेत्र:** यह **शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा** जैसे अहम क्षेत्रों में AI में प्रगति को आगे बढ़ाने वाली **250 से अधिक महिलाओं** के योगदान को उजागर करने पर केंद्रित है।

किरण योजना के बारे में

- **KIRAN/ किरण (नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग) योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** द्वारा शुरू की गई थी
- **उद्देश्य:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं का समर्थन एवं सशक्तीकरण करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।